

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला-ब्यावर) राज0

तहसील अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 171/2013
GCMS NO. : 2013/00329

-:: वादीगण :-

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

1. रामपाल पुत्र उम्मेदराम
 - 1/1 मनीष कुमावत पुत्र स्व.
रामपाल
 - 1/2 विनोद कुमार कुमावत पुत्र
स्व. रामपाल
 - 1/3 विद्यादेवी पत्नी स्व. रामपाल
 - 1/4 सुमित्रा पुत्री स्व. रामपाल
2. भंवरलाल पुत्र उम्मेदराम
जातियान- कुमावत, निवासी-
जैतारण, तहसील- जैतारण,
जिला- ब्यावर।

1. हरकूदेवी पत्नी जेठाराम (फौत)
2. मोहनलाल पुत्र जेठाराम
3. पुखराज पुत्र जेठाराम
4. चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम
5. अमरचन्द पुत्र जेठाराम
6. पारसमल पुत्र जेठाराम
7. रतनलाल पुत्र जेठाराम
8. मीरा पत्नी भंवरलाल
9. सुरेशचन्द्र पुत्र भंवरलाल
10. बाबुलाल पुत्र भंवरलाल
जातियान- जाट
11. मोहनलाल पुत्र उम्मेदराम (फौत)
के का.मु
 - 11/1 दिनेश पुत्र मोहनलाल
 - 11/2 राजकुमार पुत्र मोहनलाल
 - 11/3 प्रकाश पुत्र मोहनलाल
 - 11/4 शोभा पुत्री मोहनलाल
12. हरीराम फौत के कायम मुकाम
 - 12/1. कमला पत्नी हरीराम
 - 12/2. संदीप पुत्र हरीराम
 - 12/3. संदेश कुमार पुत्र हरीराम
जातियान- कुमावत
13. गोस्धन पुत्र पाबुराम
14. श्रवण पुत्र पाबुराम
15. छोटू पुत्र पाबुराम
16. मदन पुत्र पाबुराम
17. पेमाराम पुत्र चन्द्राराम
18. माणक पुत्र चन्द्राराम
19. मदन पुत्र चन्द्राराम
20. भीरम पुत्र चन्द्राराम
21. गंगा पत्नी चन्द्राराम
जातियान-बावरी निवासीगण जैतारण
22. रमेशकुमार पुत्र जैनाराम जाति-



(श्यामसुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण

- मेघवाल निवासी- भाकरवास।
- 23.रामसुख पुत्र मानीया
- 24.हइमान पुत्र मानीया
- 25.जगदीश पुत्र मानीया
- 26.घेपर पुत्र भंवरीया
- 27.केवल पुत्र भंवरीया जाति- बावरी,
निवासी- पातुस।
- 28.जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम
जाति- मेघवाल, निवासी- डिगरणा
तहसील- जैतारण।
- 29.तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी
राजस्थान सरकार जिला- ब्यावर।
- 30.दाखुदेवी पुत्री उम्मेदराम
- 31.पांचीदेवी पुत्री उम्मेदराम
- 32.गीतादेवी पुत्री उम्मेदराम
जातियान कुमावत,
निवासीगण-जैतारण, जिला-ब्यावर

राजस्व वाद बाबत तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:19.06.2013

उपस्थित:-

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, किशोर कुमावत, समीर खान अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री शाकिर हुसैन, सुरेश चौधरी, नितेश चौहान, जगदीश सोलंकी,
राकेश वैष्णव अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 02/07/2024

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा- चक पातुस, पटवार हल्का - जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 02 रकबा 0-11, खसरा नंबर 04 रकबा 34-15, खसरा नंबर 474-11 बीघा, कुल खसरा रकबा 509-17 बीघा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी की नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रहा है तथा मौके पर उक्त आराजी पक्षकारान की सहमति से अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, परन्तु राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक भी सामलाती दर्ज है। जिसका बंटवाड़ा नहीं हो रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने एवं कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादीगण उक्त आराजी में कुआं खुदवाने, कनेक्शन लेने तथा खाद डालकर उपजाऊ बनाने में कई प्रकार की



शानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा जब तक कानूनन बाई मिण्टस बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक वादीगण अपने उक्त आराजी के तरफ मेडबन्दी नहीं करवा सकता है न ही उसका सही तरीके से काशत के में उपयोग ले सकता है। इसलिए वादीगण का यह वाद बंटवाड़े का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बंटवाड़ा नहीं होने से प्रतिवादीगण आये दिन उक्त आराजी में वादीगण के हिस्से में दखल व दखलन्दाजी कर रहे है तथा अपनी मनमर्जी अनुसार हठधर्मिता से लाठी के बल पर मौके पर जमीन पर कब्जा कर तारबन्दी कर रहे है एवं उसमें कच्चा पक्का निर्माण करने पर भी उतारु है तथा वादीगण को मौके से भी बेदखल कर अकेले सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा जमाने पर उतारु है। जबकि जब तक कानूनन बाई मिण्टस बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो जाता प्रत्येक खातेदारों का हर इंच पर खातेदारी अधिकार होता है। इसलिए वादीगण का यह वाद बंटवारे का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण अपने व्यापार के सिलसिले में अधिकतर बाहर रहते है एवं काशत के समय जब भी यहां आते है तो प्रतिवादीगण उनको काशत नहीं करने देने की ऐलानिया धमकी देते रहते है तथा मौके पर रास्ते के पास की जमीन पर अपना कब्जा जमाकर बट की जमीन पर अपना हक जताते है एवं वादीगण के लिए जमीन भी नहीं छोड़ते है तथा उक्त आराजी में मौके पर तारबन्दी कर सम्पूर्ण आराजी में अपना हक जमाने पर उतारु है। यदि प्रतिवादीगण अपने मापाक इरादों में कामयाब हो जाते है तथा वादीगण को मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा जमा लेते है तो वादीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है एवं वादीगण को अपने जायज अधिकारों से हमेशा के लिए महरुप होना पड़ेगा। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बंटवाड़ा स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 15-06-2013 को प्रतिवादीगण एक राय होकर उपरोक्त वर्णित आराजी में मौके पर तारबन्दी कर उस पर अपना हक जताने लगे तब वादीगण ने मना किया कि उक्त आराजी में हमारा भी हिस्सा है तब प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि यहां तुम्हारा कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है। सम्पूर्ण आराजी पर हम अकेले ही कब्जा कर मौके से तुम्हे बेदखल करके उक्त आराजी किसी अन्य अजनबी क्रेता को बैचान कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी इरादों में कामयाब हो जाते है, तो वादीगण को अपने साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा के लिए महरुम होना पड़ेगा एवं मौके पर विवाद बढ़ेगा। जिससे लड़ाई झगड़े होंगे। मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढ़ेगी। इन सब से बचने के लिए एवं वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 15-6-2013 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का कानूनन बाई मिण्टस बाउण्डस के बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने एवं मौके से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने से बमुकाम चक पातुस का जो श्रीमान के श्रवण एवं क्षेत्राधिकार में है।



वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्स जवाब तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 01 से 09, 11/1 से 11/3, से 15, 33, 34 से 38 की ओर से वकालतनामा पेश हुये। प्रतिवादी 01 09 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। तनकीयात कायम की गई। वाद के मर्दान वादी रामपाल का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया सा.मि. हैं। वकील वादीगण वकील प्रतिवादीगण ने आपसी सहमती से व्यक्त किया कि विवादित आराजी माफिक राजस्व रेकर्ड वादीगण के हिस्से एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की नि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से करने की डिक्री जारी करने का देश फरमावें। वकुलाय के सहमति व्यक्त करने बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर रवाये गए।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय पत्र-पत्र, दस्तावेजात एवं जवाब दावे का गहनता से अध्ययन किया गया तथा कुलाय द्वारा व्यक्त सहमति पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरुबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है, कि तारीख नियत कर उभयपक्षकारान को सूचना का नोटिस देकर उभयपक्षकारन के रुबल माफिक राजस्व रेकर्ड पक्षकारान् में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा की डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रेकर्ड डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा- चक पातुस, पटवारी हल्का-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा 02 रकबा 0-11 बीघा, खसरा नंबर 04 रकबा 34-15, खसरा नंबर 10 रकबा 320-07 बीघा, में तारीख नियत कर उभयपक्षकारान को सूचना का नोटिस देकर उभयपक्षकारान के रुबल माफिक राजस्व रेकर्ड पक्षकारान बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग किया जावें। मौके पर गापचौप करके नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/472 दिनांक 27/06/2019 तहसीलदार जैतारण ने अपने क्रमांक/भू.अ./2018/3761 दिनांक 06.08.2019 द्वारा पत्र प्रेषित कर व्यक्तिया की राजस्व वाद संख्या 171/2013 में माफिक प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.6.2019 के क्रम में मौजा चक पातुस के खसरा नम्बर 2, 4 व 10 कुल रकबा 509 बीघा 17 बिस्वा भूमि का माफिक निर्णय पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा फरमाया जाकर नजरी नक्शा एवं मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया। पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 10 का रेकर्ड में 474-11 बीघा दर्ज है, मगर मौके पर 300 बीघा रकबा नहीं है इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया। इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार जैतारण को मार्गदर्शन चाहने पर निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से भू-निरीक्षक एवं चार पटवारियों की टीम गठित कर अवशेष भूमि से सम्बन्ध सम्पूर्ण भूमि आस-पास की भूमि का सीमांकन कर वास्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार जैतारण ने अपने पत्रांक/भू.अ./2020/165 दिनांक 13.01.



20 को खसरा नम्बर 2,4,10 व 10/1 की जमाबन्दी के अनुसार रकबा एवं के के नाम अनुसार रकबा तथा असल शीट के अनुसार रकबा का विस्तृत जांच मिलान किया गया जिसमें 143-17 बीघा भूमि मौके पर कम होना बताया गया। इस सम्बन्ध में उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने जाहिर किया कि उक्त कम पड़ रही भूमि को कम करते हुए अभिलेख में शुद्धि कर दी जाने की सहमति प्रदान करने न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.09.2020 को आदेश जारी कर खसरा नम्बर 0 रकबा 464-04 बीघा में से अधिशेष भूमि रकबा 143-17 बीघा को कम करते हुए मौके पर उपलब्ध भूमि रकबा 320-07 बीघा अनुसार संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार जैतारण को पत्रांक/कोर्ट/2020/1179 दिनांक 24.12.2020 को संशोधित प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर माफिक संशोधित प्राथमिक डिक्री पक्षकारों में बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। पालना में तहसीलदार जैतारण ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/3157 दिनांक 07.06.2024 को खसरा नम्बर 2, 4 व 10 की विवादित भूमि का पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा मय तकासमा रिपोर्ट मौके पर कब्जा काशत अनुसार तैयार की जाकर मौके पर काबिज भूमि को नजरी नक्शे में दर्शाते हुए संशोधित प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की जो सा0मि0 की गई।

बहस उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में अधिवक्तागण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की इस्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत क्रमांक/भू0अ0/24/3157 दिनांक 07/06/2024 अंतिम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

--: आदेश :-

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि वाके आराजी सरहद मौजा-चक पातुस पटवार हल्का जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि खसरा 02 रकबा 0-11 बीघा, खसरा नंबर 04 रकबा 34-15, खसरा नंबर 10 रकबा 320-07 बीघा तक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वलदियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किरम	लगान
1	कमला पत्नी हरीराम 2/35, संगीता पुत्री हरीराम 2/35, सन्देश पुत्र हरीराम 2/35, संदीप पुत्र हरीराम 2/35, दिनेश पुत्र मोहनलाल 2/35, प्रकाश पुत्र मोहनलाल 2/35, राजकुमार पुत्र मोहनलाल 2/35, पुत्री मोहनलाल 2/35, भंवरलाल 8/35, रामपाल पुत्र उम्मेदराम 1/35, प्रसुदेवी पुत्री उम्मेदराम 1/35, गीतादेवी पुत्री उम्मेदराम 1/35, कौम कुम्हार	10/2	18.0031	चा.सो.	65.21
		10/5	0.8094	चा.सो.	2.93



(जयपुर)
सम्बन्धित अधिकारी एवं पक्षों
व्यक्तिगत रूप से

पत्नी हरीराम 2/70, संगीता पुत्री राम 2/70, सन्देश पुत्र हरीराम 2/70, पुत्र हरीराम 2/70, दिनेश पुत्र मोहनलाल 2/70, प्रकाश पुत्र मोहनलाल 70, राजकुमार पुत्र मोहनलाल 2/70, भादेवी पुत्री मोहनलाल 2/70, भंवरलाल उम्मेदराम 8/70, रामपाल पुत्र उम्मेदराम 70 दाखुदेवी पुत्री उम्मेदराम 1/70, चीदेवी पुत्री उम्मेदराम 1/70, गीतादेवी पुत्री उम्मेदराम 1/70 कौम कुम्हार अमरचन्द पुत्र राम 41/576, चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम 1/576, पुखराज पुत्र जेठाराम 41/576, पुष्पा पुत्री भंवरलाल 1/5760, पाचीदेवी पुत्री जेठाराम 1/1152, पारसमल पुत्र जेठाराम 1/576, बाबुलाल पुत्र भंवरलाल 49/1444, मीरादेवी पत्नी भंवरलाल 1/360, मोहनलाल पुत्र जेठाराम 41/576, यशोदा पुत्री भंवरलाल 1/5760, रतनलाल पुत्र जेठाराम 41/576, सुरेशचन्द पुत्र भंवरलाल 49/1440, सोहनीदेवी पुत्री जेठाराम 1/1152, कौम जाट सा. जैतारण	10/8	0.6850	चा.सो. (रास्ता हेतु)	2.49
अमरचन्द पुत्र जेठाराम 41/288, चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम 41/288, पुखराज पुत्र जेठाराम 41/288, पुष्पा पुत्री भंवरलाल 1/2880, पाचीदेवी पुत्री जेठाराम 1/576, पारसमल पुत्र जेठाराम 41/288, बाबुलाल पुत्र भंवरलाल 49/720, मीरादेवी पत्नी भंवरलाल 1/180, मोहनलाल पुत्र जेठाराम 41/288, यशोदा पुत्री भंवरलाल 1/2880, रतनलाल पुत्र जेठाराम 41/288, सुरेशचन्द पुत्र भंवरलाल 49/720, सोहनीदेवी पुत्री जेठाराम 1/576, कौम जाट सा. जैतारण	10/3	18.6911	चा.सो.	67.70
रमेशकुमार पुत्र नैनाराम 38788/42240, निवासी भाकरवास, जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम 3452/42240 कौम मेघवाल निवासी डिगरना खातेदार	10/6	0.1214	चा.सो.	0.44
रमेशकुमार पुत्र नैनाराम 38788/42240, निवासी भाकरवास, जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम 3452/42240 कौम मेघवाल निवासी डिगरना खातेदार	10/7	4.2240	चा.सो.	15.30
ओगडराम पुत्र पुखराज 2819/149310 ओमप्रकाश पुत्र सुगनाराम 2819/149310 गंगा पत्नी चन्द्राराम 4789/149310 गोरधन पुत्र पाबूराम 5986/149310 छोटू पुत्र पाबूराम 5986/149310 पप्पूराम पुत्र जोपरराम 4577/149310 सुनकी पुत्री जोपरराम 4577/149310,पेमराम पुत्र चन्द्राराम 4789/149310 प्रकाश पुत्र हापूराम, 7610/149310 मुकेश पुत्र चैनाराम 4789/149310 मदन पुत्र चन्द्राराम 4789/149310, मदन पुत्र पाबूराम 5986/149310, माणक पुत्र चन्द्राराम	2	0.0890	चा.सो	0.22



(शुद्ध मुद्रा के साथ)
जयपुर अधिकारी एवं पंजी
सहायक कलक्टर जयपुर

789/149310,	मोतीराम पुत्र	गेपरराम				
577/149310	नाधुराम पुत्र	रतनलाल				
70/149310	राकेश पुत्र	रतनलाल				
70/149310	प्रेम पुत्री	रतनलाल				
70/149310	सुनीता पुत्री	रतनलाल				
70/149310	सावित्री पुत्री	रतनलाल	4	5.6251	चा.सो.	14.06
70/149310	सीमा पुत्री	रतनलाल				
70/149310	वीरम पुत्र	चन्द्राराम				
789/149310	श्यामलाल पुत्र	हापुराम				
7425/149310	हीरा पुत्र	गेपरराम				
577/149310	कौम बावरी निवासी	जैतारण				
कन्हैयालाल पुत्र	बंशीलाल 2819/149310					
केवल पुत्र	भंवरीया 18310/149310	कौम				
बावरी नि. पातुस	जगदीश पुत्र	भानीया				
8539/149310.	बस्ताराम पुत्र	रामसुख				
3192/149310	सहदेव पुत्र	रामसुख				
3192/149310	तोलकी पुत्री	रामसुख				
3192/149310	डालकी पुत्री	रामसुख	10	9.2169	चा.सो.	33.38
3192/149310	करमा पुत्री	रामसुख				
3192/149310	हडमान पुत्र	भानीया				
8353/149310	कौम बावरी निवासी	पातुस				
श्रवणकुमार पुत्र	मांगीलाल 2819/149310					
सोहनलाल पुत्र	बंशीलाल 28/9/149310					
कौम मेहत्तर नि.	जैतारण खातेदार					

नोट- खसरा नम्बर 10/4 रकबा 0.1054 किस्म चा.सो (रास्ता हेतु) लगान

0.40 एवं खाता बदस्तुर

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। वादीगण के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई विषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार में जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 02/07/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(सहायक फिल्ड ऑफिसर) पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (जिला-ब्यावर)

(सहायक फिल्ड ऑफिसर) पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (जिला-ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

:- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

:- श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

--:: वादीगण :-

बनाम

--:: प्रतिवादीगण :-

- ज अदालत
जिलास
1. रामपाल पुत्र उम्मेदराम
 - 1/1 मनीष कुमावत पुत्र स्व. रामपाल
 - 1/2 विनोद कुमार कुमावत पुत्र स्व. रामपाल
 - 1/3 विध्यादेवी पत्नी स्व. रामपाल
 - 1/4 सुमित्रा पुत्री स्व. रामपाल
 2. भंवरलाल पुत्र उम्मेदराम
जातियान- कुमावत, निवासी- जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर।
 1. हरकूदेवी पत्नी जेठराम
 2. मोहनलाल पुत्र जेठराम
 3. पुखराज पुत्र जेठराम
 4. चुन्नीलाल पुत्र जेठराम
 5. अमरचन्द पुत्र जेठराम
 6. पारसमल पुत्र जेठराम
 7. रतनलाल पुत्र जेठराम
 8. मीरा पत्नी भंवरलाल
 9. सुरेशचन्द्र पुत्र भंवरलाल
 10. बाबुलाल पुत्र भंवरलाल
जातियान- जाट
 11. मोहनलाल पुत्र उम्मेदराम(फौत) के का.मु.
 - 11/1 दिनेश पुत्र मोहनलाल
 - 11/2 राजकुमार पुत्र मोहनलाल
 - 11/3 प्रकाश पुत्र मोहनलाल
 - 11/4 शोभा पुत्री मोहनलाल
 12. हरीराम फौत के कायम मुकाम
 - 12/1. कमला पत्नी हरीराम
 - 12/2. संदीप पुत्र हरीराम
 - 12/3. संदेश कुमार पुत्र हरीराम
जातियान- कुमावत
 13. गोरधन पुत्र पाबुराम
 14. श्रवण पुत्र पाबुराम
 15. छेदू पुत्र पाबुराम
 16. मदन पुत्र पाबुराम
 17. पेमाराम पुत्र चन्द्राराम
 18. माणक पुत्र चन्द्राराम
 19. मदन पुत्र चन्द्राराम
 20. भीरम पुत्र चन्द्राराम
 21. गंगा पत्नी चन्द्राराम
 22. रमेशकुमार पुत्र नैनाराम जाति- मेघवाल निवासी- भाकरवास।
 23. रामसुख पुत्र मानीया
 24. हड़मान पुत्र मानीया
 25. जगदीश पुत्र मानीया
 26. घेपर पुत्र भंवरिया
 27. केवल पुत्र भंवरिया जाति- बावरी, निवासी- पानुस।



(श्यामसुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण।

जेठाराम 41/576, यशोदा पुत्री भंवरलाल 5760, रतनलाल पुत्र जेठाराम 41/576, शचन्द पुत्र भंवरलाल 49/1440, सोहनीदेवी जेठाराम 1/1152, कौम जाट सा. जैतारण				
शचन्द पुत्र जेठाराम 41/288, चुन्नीलाल जेठाराम 41/288, पुखराज पुत्र जेठाराम 1288, पुष्पा पुत्री भंवरलाल 1/2880, चीदेवी पुत्री जेठाराम 1/576, पारसमल पुत्र जेठाराम 41/288, बाबुलाल पुत्र भंवरलाल 9/720, मीरादेवी पत्नी भंवरलाल 1/180, सोहनलाल पुत्र जेठाराम 41/288, यशोदा पुत्री भंवरलाल 1/2880, रतनलाल पुत्र जेठाराम 41/288, सुरेशचन्द पुत्र भंवरलाल 49/720, सोहनीदेवी पुत्री जेठाराम 1/576, कौम जाट सा. जैतारण	10/3	18.6911	चा.सो.	67.70
	10/6	0.1214	चा.सो.	0.44
	02	18.8125		68.14
शेखर पुत्र नैनाराम 38788/42240, निवासी भाकरवास, जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम 3452/42240 कौम मेघवाल निवासी डिगरना खातेदार	10/7	4.2240	चा.सो.	15.30
ओगाडराम पुत्र पुखराज 2819/149310 ओमप्रकाश पुत्र सुगनाराम 2819/149310 गंगा पत्नी चन्द्राराम 4789/149310 गोस्थन पुत्र पाबूराम 5986/149310 छेदू पुत्र पाबूराम 5986/149310 पप्पुराम पुत्र गेपरराम 4577/149310 सुनकी पुत्री गेपरराम 4577/149310, पैमाराम पुत्र चन्द्राराम 4789/149310 प्रकाश पुत्र हापुराम, 7610/149310 मुकेश पुत्र चेनाराम 5986/149310 मदन पुत्र चन्द्राराम 4789/149310, मदन पुत्र पाबुराम 5987/149310, माणक पुत्र चन्द्राराम 4789/149310, मोतीराम पुत्र गेपरराम 4577/149310 नाधुराम पुत्र रतनलाल 470/149310 राकेश पुत्र रतनलाल 470/149310 प्रेम पुत्री रतनलाल 470/149310 सुनीता पुत्री रतनलाल 470/149310 सावित्री पुत्री रतनलाल 470/149310 सीमा पुत्री रतनलाल 470/149310 वीरम पुत्र चन्द्राराम 4789/149310 श्यामलाल पुत्र हापुराम 7425/149310 हीरा पुत्र गेपरराम 4577/149310 कौम बावरी निवासी जैतारण कन्हैयालाल पुत्र बंशीलाल 2819/149310 केवल पुत्र भवरीया 18310/149310 कौम बावरी नि. पातुस जगदीश पुत्र भानीया 8539/149310. बस्ताराम पुत्र रामसुख 3192/149310 सहदेव पुत्र रामसुख 3192/149310 तोलकी पुत्री रामसुख 3192/149310 डालकी पुत्री रामसुख 3192/149310 करमा पुत्री रामसुख 3192/149310 हडमान पुत्र भानीया 8353/149310 कौम बावरी निवासी पातुस शरणकुमार पुत्र मांगीलाल 2819/149310 सोहनलाल पुत्र बंशीलाल 28/9/149310 मेहतर नि. जैतारण खातेदार	2	0.0890	चा.सो	0.22
	4	5.6251	चा.सो.	14.06
	10	9.2169	चा.सो.	33.38
	3	14.9310		47.66

असरा नम्बर 10/4 रकबा 0.1054 किस्म चा.सो (रास्ता हेतु) लगान 0.40 एवं
खाता बदस्तुर

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा
विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। डिक्री
बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। वादीगण के कब्जे काशत में दखलन्दाजी
से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार जैतारण को
पत्रावली मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद
शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को
अदा करें।

बसिब्ब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 02/07/2024
को जारी किया गया ।



(शर्चा मुकदमें के लिए)
सहायक जज (सिविल) एवं मुदत
अधिकारी
जैतारण (जिला-ब्यावर)

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	13-	00	स्टाम्प वकालतनामा	8-	00
स्टाम्प वकालतनामा	9-	00	स्टाम्प अर्जी	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	महनताना वकील	-	-
महनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
खर्चा गवाहान	14-	00	फीस कमीशनर	-	-
फीस कमीशनर	-	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	-
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	-	मुत्फरिक	-	-
	29-	00	मिजान:-	8-	00

नोट- इस धर्मे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए
दिखाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।

